

मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-121

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण में 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया

तृतीय चरण में 15 अप्रैल को 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 8-सम्भल में 01, 16-हाथरस (अ०जा०) में 03, 18-आगरा (अ०जा०) में 01, 19-फतेहपुर सीकरी में 02, 20-फिरोजाबाद में 02, 21-मैनपुरी में 01, 22-एटा में 01, 23-बदायूं में 02, 24-ऑवला में 01 तथा 25-बरेली में 04 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

तृतीय चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल

तृतीय चरण का मतदान 07 मई को होगा

दिनांक 15 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए 15 अप्रैल को 18 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में तृतीय चरण की 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 15 अप्रैल को जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उसमें -

8-सम्भल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीस पार्टी से राशिद ने नामांकन पत्र भरा।

16—हाथरस (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से जसवीर, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घनश्याम सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल ने नामांकन पत्र भरा।

18—आगरा (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह बघेल ने नामांकन पत्र भरा।

19—फतेहपुर सीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों में अम्बेडकरी हसनुराम अम्बेडकरी तथा रामेश्वर सिंह ने नामांकन पत्र भरा।

20—फिरोजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव तथा भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से उपेन्द्र सिंह ने नामांकन पत्र भरा।

21—मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा।

22—एटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा।

23—बदायूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव तथा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से किशोर कुमार ने नामांकन पत्र भरा।

24—ऑवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से धर्मेन्द्र कश्यप ने नामांकन पत्र भरा।

25—बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल सिंह, जनशक्ति एकता पार्टी से रोहताश कुमार, वंचित समाज इंसोफ पार्टी से लईक अहमद मंसूरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी में नितिन मोहन ने नामांकन पत्र भरा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तृतीय चरण के अंतर्गत 8—सम्भल, 16—हाथरस (अ0जा0), 18—आगरा (अ0जा0), 19—फतेहपुर सीकरी, 20—फिरोजाबाद, 21—मैनपुरी, 22—एटा, 23—बदायूं, 24—ऑवला तथा 25—बरेली की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों में 08 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 02 सीट अनुसूचित

जाति के लिए आरक्षित है। मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली सहित 12 जिलों के अंतर्गत तृतीय चरण के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को की जायेगी। 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। तृतीय चरण का मतदान 07 मई, 2024 (मंगलवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करना होगा।
